राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (टी–9) अलेसे–I/82 दिनांकः– 19/04/2018

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश संख्या 133/2014–15 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा श्री तेजाराम कोडेचा (लिंक नम्बर 7635), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, तत्कालीन कार्यालय परियोजना प्रबंधक, अनुजा प्रकोष्ठ, बाड़मेर की राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 08.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई थी, जिसके कम में जारी किया गया "जांच बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2015 के अनुरूप नहीं था।

अतः श्री कोडेचा के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरूद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 08.01.2015 तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयॉ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (टी–9) अलेसे–I/82 दिनांकः– 19/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

2 महाप्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर।

3 कोषाधिकारी, बाड़मेर।

4 श्री तेजाराम कोडेचा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, ग्राम पोस्ट जयसिन्धर स्टेशन, जिला बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

5 उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6 अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।

7 रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)